

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 162/2023-24

—:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक- 148, दिनांक- 25.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. वकील महतो, पिता- स्व० अर्जुन महतो, 2. मनोहर महतो, 3. राजु महतो, 4. दीपक महतो, तीनों के पिता- स्व० तीरथ महतो, साकिम- जी०टी० रोड, डोमनपुर, बागदाहा, थाना- राजगंज, जिला- धनबाद, अपनी जमीन मौजा- डोमनपुर, मौजा नं०- 218, गत् खाता सं०- 12, गत प्लॉट सं०- 1110, नया खाता सं०- 139, नया प्लॉट सं०- 1599, रकबा- 9.50 डिसमील, भूमि क्रेता फोगनी देवी, पति- छोटन महतो, साकिम- सीनीडीह, पो०- टुण्डु, थाना- मधुबन, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा विक्रेता थाना- राजगंज एवं क्रेता थाना- मधुबन, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 12.60 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।